



Case No. 47/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-1962/JH/15/2024-APCR-RU-IV

श्री शशि रंजन
उपायुक्त,
जिला पलामू
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त कार्यालय,
नया समाहरणालय, मेदिनीनगर,
पलामू, झारखंड 822101
Email Id: dc-pal@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 16/05/2025 को 02:40 P.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन के हड़पने के उद्देश्य से रास्ता रोकने, जाति सूचक शब्द कहने तथा घर में घुस कर घर की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने के संदर्भ में श्रीमती विमला देवी का अभ्यावेदन।
(ii) आयोग का नोटिस दिनांक 11.11.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 01/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003